

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- अल्मोड़ा में चला-ब्याडी-कालाकोट चौर मार्ग के निर्माण हेतु।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - गेहिया / गड़कोट बल्वा  
तहसील - सल्ट, जिला - अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत चला-ब्याडी-कालाकोट परियोजना के निर्माण हेतु (~~1.5575~~ हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.7675 हे0 सिविल सोयम भूमि,..... हे0, वन पंचायत भूमि 1.5575 हे0) अर्थात् कुल 3.325 हे0 वन भूमि का चला-ब्याडी-कालाकोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गेहिया द्वारा दिनांक.....को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपरिथत सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गेहिया / बल्वा / गड़कोट के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि चला-ब्याडी-कालाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / -  
ग्राम सचिव

मानन्दो देवी  
प्रधान

ग्राम पंचायत गड़कोट बल्वा  
व्याय पंचायत चाँप  
सल्ट, अल्मोड़ा

मानन्दो देवी  
ह0 / -

ग्राम सभा गड़कोट बल्वा  
ग्राम प्रधान  
पो. 210 बल्वा गड़कोट  
बि. ख. सल्ट (अल्मोड़ा)

नोट :- \* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।  
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 19-01-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत जेठिया / नल्ला गढ़कोट / नल्ला गढ़कोट

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री सुशांतासिंह	सुशांतासिंह
2	श्री वैजसिंह S10-चंडासिंह	वैजसिंह
3	श्री भगवानसिंह	
4	श्री भूरासिंह	भूरासिंह
5	श्री जैजसिंह S10 खीरसिंह	जैजसिंह
6	श्री स्वामीसिंह	स्वामीसिंह
7	श्री प्रतापसिंह	प्रतापसिंह
8	श्री मानसिंह	मानसिंह
9	श्री गोविंदसिंह	
10	श्री दामोदरसिंह	दामोदरसिंह
11	श्री गंगासिंह	
12	श्री चंडासिंह	चंडासिंह
13	श्री रामदाससिंह (प्रधान)	Ramdas Singh
14	श्री चमनसिंह	चमनसिंह
15	श्री गोविंदसिंह S10 अमरसिंह	गोविंदसिंह
16	श्री गोविंदसिंह S10 पानसिंह	गोविंदसिंह
17	श्री सुरजसिंह	सुरजसिंह

नल्ला गढ़कोट

सदस्य श्रीदेवी  
 क्षेत्र पंचायत-14 बरहलिया  
 नल्ला गढ़कोट

अमरसिंह देवी  
 (सदस्य) नल्ला गढ़कोट  
 श्री रामदाससिंह  
 अध्यक्ष (प्रधान)  
 नल्ला गढ़कोट

Ramdas Singh  
 ग्राम पंचायत नल्ला गढ़कोट  
 पो ग्राम प्रधान नल्ला गढ़कोट  
 बि. स. सस्ट (नल्ला गढ़कोट)

परियोजना का नाम :- प्रपत्र-23.2  
श्री. अशोक मोहन शर्मा

कार्यालय उप जिलाधिकारी, ए.ए.ए.  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत  
प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति, ए.ए.ए.

उपखण्ड श्री. अशोक मोहन शर्मा परिक्षेत्र के अन्तर्गत श्री. अशोक मोहन शर्मा हे० आरक्षित वन भूमि 1.765 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 1.55 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 3.325 हे० वन भूमि ) का श्री. अशोक मोहन शर्मा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील ए.ए.ए.) की दिनांक 14-01-2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री श्री. अशोक मोहन शर्मा, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

सदस्य श्री. देवी

पंचायत-14 बरहलिया  
बल्मोडा (उत्तराखण्ड)

- 1- श्री श्री. अशोक मोहन शर्मा उपजिलाधिकारी ए.ए.ए. अध्यक्ष
- 2- श्री श्री. के. सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी श्री. अशोक मोहन शर्मा सदस्य
- 3- श्री श्री. अशोक मोहन शर्मा सहायक समाज कल्याण अधिकारी ए.ए.ए. सदस्य/सचिव
- 4- श्री जगन्नाथ बी०डी०सी० क्षेत्र श्री. अशोक मोहन शर्मा सदस्य

सदस्य श्री. देवी

पंचायत-14 बरहलिया  
बल्मोडा (उत्तराखण्ड)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

श्री. अशोक मोहन शर्मा

परियोजना हेतु 3.3243 हे० वन भूमि

श्री. अशोक मोहन शर्मा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, श्री. अशोक मोहन शर्मा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड २४०२ परिक्षेत्र के अन्तर्गत  
 परियोजना के निर्माण हेतु .....  
 हे० वन भूमि ३.३२५ प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर  
 प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अक्षयक्ष  
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
 तहसील- २४०२  
 जनपद २००१/३१

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, २४०२ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अक्षयक्ष  
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
 तहसील- २४०२  
 जनपद २००१/३१

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman. I.A.S. Deputy Commissioner. Almora on date.....16.01.15.....at time...6:00 PM.....at Almora. in which application claiming rights of ..... area measuring 3.825 hect. for the Construction of Thala - Bhiyan Bhitakat motor road of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to consider the same of admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions. no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date :

  
 जिला अधिकारी  
 अलमोड़ा  
 Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

It is further certified that

S.N.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 2.362 het. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl:As above

  
 निला अधिकारी  
 16-01-15  
 अल्मोड़ा

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

**FORM-1**  
**Government of Uttarakhand**  
**Office of the District Collector : Rudraprayag**

No : .....

Dated: .....

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers) Recognition of Forest Right, Act 2006(FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 23013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that 3.325 ..hectares of forest land proposed to be diverted in favor of

Rural Development Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Thala Bhyavi Bhitakot motor Road

(Purpose for diversion of forest land) in Almora district falls within jurisdiction of Garkot malla village(s) in salt Tehsils.

It is further Certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire.....Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent of it.
- (c) The proposal dose not involve recognized of primitive Trible Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above

  
**जिला अधिकारी**  
Signature  
**धर्मदत्त**

(Full name of the official seal of the District Collector)

## प्रमाण पत्र प्रपत्र 23.3

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में थला-भ्याड़ी-भीताकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11-9/98-एफ.सी. दिनांक 05.02.2013 के जारी आदेश के क्रम में आवेदित भूमि परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि व सिविल एवं कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रही है।

  
जिला समाज कल्याण अधिकारी,  
अल्मोड़ा  
नोडल अधिकारी, अल्मोड़ा

  
जिलाधिकारी,  
अल्मोड़ा  
अल्मोड़ा

## वन पंचायत समिति का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- थला, थ्याडी, भिताकोट, मोटर मार्ग

आज दिनांक 27/4/15 को वन पंचायत समिति गाडकी मल्ला की आम बैठक में सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि शासन द्वारा स्वीकृत उक्त मोटर मार्ग जो इस वन पंचायत से होकर गुजर रहा है, उसमें वन पंचायत समिति गाडकी मल्ला को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

इस आम बैठक में निम्न सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

सदस्य

① Alam Singh  
② अनीता देवी  
गणेश सिंह  
अमिता सिंह

सरपंच



वन पंचायत समिति का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम - बला थ्याडी-भिताकोट मोटर मार्ग

आज दिनांक 28/04/15 को वन पंचायत समिति मथालबाखली (खडखडा) की आम बैठक में सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि शासन द्वारा स्वीकृत उक्त मोटर मार्ग जो इस वन पंचायत से होकर गुजर रहा है, उसमें वन पंचायत समिति मथालबाखली (खडखडा) को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

इस आम बैठक में निम्न सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

- 1- राजी सिंह
- 2- राजी सिंह

*[Signature]*  
*[Signature]*  
 मीरा देवी

सरपंच  
मधु राज सरपंच  
 वन पंचायत समिति  
 बला थ्याडी-भिताकोट

सरपंच  
 वन पंचायत समिति  
 बला थ्याडी-भिताकोट

वन पंचायत समिति का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- धला ख्याडी विभागीय मोटर मार्ग

आज दिनांक 27/4/15 को वन पंचायत समिति देवीखाल की आम बैठक में सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि शासन द्वारा लोकृत सज्जत मोटर मार्ग जो इस वन पंचायत से होकर गुजर रहा है, उसमें वन पंचायत समिति देवीखाल को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

इस आम बैठक में निम्न सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

सदस्य

सरपंच  
इशनी देवी  
सरपंच

वन पंचायत देवीखाल  
पो. देवीखाल, मन्दास रोड, अल्मोड़ा।

## वन पंचायत समिति का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- थला थ्याडी निभताकोट मोटर मार्ग

आज दिनांक 28/4/15 को वन पंचायत समिति खिवाली वल्ली की आम बैठक में सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि शासन द्वारा स्वीकृत उक्त मोटर मार्ग जो इस वन पंचायत से होकर गुजर रहा है, उसमें वन पंचायत समिति खिवाली वल्ली को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

इस आम बैठक में निम्न सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

- सदस्य
- 1- कुन्दरसिंह
  - 2- भूपाल सिंह
  - 3- मकुन्दसिंह
  - 4- प्रेम सिंह
  - 5- सोवन सिंह (सरपंच)

सरपंच

**सरपंच**

ग्राम खिवाली वल्ली  
पो. देवोवल जिला अहमोड़ा



## वन पंचायत समिति का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- बला थ्याडी मिताकोट मोटर मार्ग

आज दिनांक 27/4/15 को वन पंचायत समिति धुखवाडुगा की आम बैठक में सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि शासन द्वारा स्वीकृत उक्त मोटर मार्ग जो इस वन पंचायत से होकर गुजर रहा है, उसमें वन पंचायत समिति धुखवाडुगा को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

इस आम बैठक में निम्न सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

सदस्य भाग देवी

मोहन लाल

मन्था देवी

शान्ती देवी

सरपंच

गोपाल सिंह

इस पंचायत मुख्यालय

जो वन पंचायत, धुखवाडुगा, (मिताकोट)

वन पंचायत समिति का अनापत्ति प्रमाण-पत्र


परियोजना का नाम :- थल्ना ब्र्याडी भीलाकोट मोटर मार्ग

आज दिनांक 27/5/15 को वन पंचायत समिति रिवाली पल्ली की आम बैठक में सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि शासन द्वारा स्वीकृत उक्त मोटर मार्ग जो इस वन पंचायत से होकर गुजर रहा है, उसमें वन पंचायत समिति ..... को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।


इस आम बैठक में निम्न सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

सदस्य

सुजमा ठीर  
अंमि० सीदा देवी



अंगुठा निशाकी  
जैतुली देवी  
सरपंच



वन पंचायत, रिवाली पल्ली  
द. मल्वा इन्डरी टोला

प्यारी देवी  
अंमि० सरुली देवी



पुष्पनी देवी

वन पंचायत समिति का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- ब्यला आड़ी भिताकीट मोटर मार्ग

आज दिनांक 28/4/18 को वन पंचायत समिति मुन्डा की आम बैठक में सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि शासन द्वारा स्वीकृत उक्त मोटर मार्ग जो इस वन पंचायत से होकर गुजर रहा है, उसमें वन पंचायत समिति मुन्डा को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

इस आम बैठक में निम्न सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

सदस्य

भगत सिंह

वसुन्ही देवी  
काहावल्ली देवी

शाहली देवी

रेवत सिंह

सरि ला देवी

अनोप सिंह

सरपंच शिवजी दात  
सरपंच

वन पंचायत मुन्डा  
सहसा सल्ट तहमोल सल्ट  
समपद अल्मोड़ा

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

Ph. No. 05966-220679

Fax No. 05966-220679

E-mail - eepdrani@yahoo.com

पत्रांक 1782 / 36सी.

दिनांक रानीखेत अगस्त 20/2015

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
अल्मोड़ा वन प्रभाग,  
अल्मोड़ा।

**विषय :-** जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत थला-म्याड़ी-भीताकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण। (9401/2015)


**सन्दर्भ :-** आपका पत्रांक 782/12-1(2) दिनांक 05.08.2015।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में लगाई गयी आपत्तियों का निराकरण कर वन पंचायत कमेटी व वनाधिकार अधिनियम-2006 का प्रमाण पत्र ऑन लाईन के साथ हार्ड कापी सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न प्रस्ताव में अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

**संलग्न :-** प्रस्ताव की हार्ड कापी।

  
अधिशासी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,  
रानीखेत।